न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 65/2026
ऑनलाईन नम्बर 2026/131

निर्णय दिनांक 27.05.2026

मामराज पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी समन्दसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादी—

—उपस्थितिः—
1. श्री मांगीलाल नैण अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से दावा निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है कि वादी की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 298 तादादी 11.6900 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1027/762 तादादी 6.7600 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1029/626 तादादी 6.8300 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 191 तादादी 4.2700 हैक्टेयर वाकेरोही समन्दसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। जिसमें वादी का 3/7 हिस्सा भूमि है, उक्त खसरान की भूमि वादी को विरास्तन प्राप्त हुई है। वादी को अपने घर, परिवार व रिश्तेदारी में लालूराम व मामराज दोनों ही नामो से जाना, पहचाना व पुकारा जाता है। इसलिए वादी के नाम से जारी दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मार्कशीट, टी. सी. वोटर लिस्ट आदि में वादी का नाम मामराज दर्ज चला आ रहा हैं। खेत खसरा नम्बर 298 तादादी 11.6900 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1027/762 तादादी 6.7600 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1029/626 तादादी 6.8300 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 191 तादादी 4.2700 हैक्टेयर वाकेरोही समन्दसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर की खातेदारी वादी के पिता रूपाराम के नाम से संयुक्त दर्ज चली आ रही थी। वादी के पिता मृत्यु के बाद वादगत खसरान की भूमि का विरास्तन इंतकाल संख्या 1285 सम्वत 2066 से 2069 में वादी व वादी की माता व भाईयों के नाम से दर्ज हो गया। विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय भूलवंश वादी का बोलता नाम लालूराम सहबन से दर्ज हो गया। चूंकि वादी को लालूराम व मामराज दोनो ही नामो से जाना व पुकारा जाता था, उक्त विरास्तन इंतकाल दर्ज करवाते समय वादी का बोलता नाम लालूराम अंकित करवा दिया गया था, इसलिए वादी के पिता के देहान्त के पश्चात् विरास्तन इंतकाल भी वादी लालूराम के नाम से दर्ज हो गया । वादी के नाम जब उपरोक्त खसरान की भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज हुआ, तब हल्का पटवारी ने बिना कोई जांच पड़ताल—पूछताछ किये सहबन से मामराज के स्थान पर लालूराम दर्ज कर दिया। जो कि सम्वत 2066 से 2069 से आजतक वादी के नाम की खातेदारी भूमि में बराबर चला आ रहा हैं। जिससे वादी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तथा वादी को अपनी खातेदारी की भूमि पर ऋण लेने या ऋण सीमा बढ़वाने व अन्य योजनाओं का लाभ लेने से वंचित होना पड़ रहा हैं । वादी अपनी कृषि भूमि पर केसीसी ऋण लेकर ट्यूब वैल आदि का निर्माण करवाने से

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

पूर्णतया: वंचित हो रहा है तथा बैंक द्वारा भी वादी के दो अलग–अलग नाम होने के कारण केसीसी करने से इन्कार कर दिया। वादी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, जिसे अपने घर, परिवार, समाज व गांव में मामराज के नाम से जाना व पूकारा जाता है व वादी के पिता की मृत्युपरांत विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय वादी का बोलते नाम लालूराम दर्ज कर दिया गया, जबकि वादी के तमाम सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मतदाता सूची, टी.सी., मार्कसीट, जन आधार कार्ड आदि में वादी का नाम मामराज अंकित चला आ रहा है। यानि वादी का सही व वास्तविक व रिकार्ड अनुसार नाम मामराज है । वादी का सही व वास्तविक व प्रशासनिक नाम शुरू से ही मामराज चला आ रहा है, जिसको वादी राजस्व रिकार्ड में घोषित करवाकर शुद्धि करवाने का अधिकारी है। वादी का शुरू से ही नाम मामराज चला आ रहा है, केवल राजस्व रिकार्ड में लालूराम अंकित हो गया है। वादी के अन्य तमाम दस्तावेजों में मामराज अंकित है। उपरोक्त सभी दस्तावेजातों की फोटो प्रतियां अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। गांव समन्दसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में मामराज पुत्र रूपाराम जाट के नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, वर्णित खसरान भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रही है, इसलिए वादी उपरोक्त खसरान की भूमि में अपना सही नाम मामराज अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। उपरोक्त खसरान भूमि में वादी का गलत नाम लालूराम अंकित होने के कारण वादी को कई प्रकार की परेशानियां पैदा हो रही है तथा सरकारी लाभ से वंचित हो रहा है। वादगत खेतों में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सहबन से गलत अंकित कर दिया गया है, इस बाबत वादी ने दिनांक 06.02.2026 को प्रतिवादी से निवेदन किया कि मेरा नाम मामराज है, जबकि वादगत खसरान भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के तौर पर मेरा नाम लालूराम अंकित कर दिया गया है, जबकि मेरे अन्य तमाम दस्तावेजात में मेरा सही नाम मामराज अंकित चला आ रहा है, उस हिसाब से दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में मेरा सही नाम मामराज दर्ज किया जावें, तो प्रतिवादी ने वादी को कहा कि आपको सक्षम न्यायालय से आदेश लेना पड़ेगा, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नहीं है, इस प्रकार प्रतिवादी ने वादी के नाम की शुद्धिकरण कर राजस्व रिकार्ड में सही नाम मामराज दर्ज करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में वादी के पास रिकार्ड दुरूस्ती हेतु व अपने सही नाम की घोषणा हेतु यह घोषणात्मक दावा श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वादी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 298 तादादी 11.6900 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1027/762 तादादी 6.7600 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1029/626 तादादी 6.8300 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 191 तादादी 4.2700 हैक्टेयर वाकेरोही समन्दसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में वादी का नाम लालूराम गलत अंकित चला आ रहा है, जिसकी दुरूस्ती करवाने का वादी अधिकारी है परन्तु प्रतिवादी ने उक्त शुद्धि करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया । इन्कारी की दिनांक से वादी को वाद हेतु हासिल है व वादाधिकार वादी की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्राप्त है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी पर प्रतिवादी के यहां रहन रखकर ऋण ले रखा है, इसलिए प्रतिवादी को दावा में आवश्यक पक्षकार बनाया है। प्रतिवादी से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा गया है। दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है, दावा में स्टेट आवश्यक

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कार है स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी. सी. का नोटिस दिया जाना क्षयक होता है। दावा आवश्यक प्रकृति का है, अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर ा प्रस्तुत किया गया तो वादी को भारी क्षति होगी, यानि वादगत खेतो में वादी का नाम त अंकित होने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए तुरन्त ा पेश कर शुद्धिकरण करवाया जाना आवश्यक हो गया है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत ने हेतु अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट क्त कर उक्त दावा प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वादगत खेत रोही मौजा समन्दसर तहसील ड़ूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनवायी का श्रीमान्जी को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार सिल है तथा दावा हर प्रकार से समयावधि के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे–

(क) कि प्रतिवादी को यह आदेशित किया जावें कि वो वादगत वादी की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 298 तादादी 11.6900 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1027/762 तादादी 6.7600 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1029/626 तादादी 6.8300 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 191 तादादी 4.2700 हैक्टेयर वाकेरोही समन्दसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में लालूराम पुत्र रूपाराम अंकित कर रखा है उसके स्थान पर वादी का सही नाम मामराज पुत्र रूपाराम की घोषणा की जाकर उसकी पालना प्रतिवादी से करवाई जावें ।

(ख) कि वादी की वादगत संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 298 तादादी 11.6900 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1027/762 तादादी 6.7600 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1029/626 तादादी 6.8300 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 191 तादादी 4.2700 हैक्टेयर वाकेरोही समन्दसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे गलत नाम लालूराम की जगह मामराज अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर उसकी पालना प्रतिवादी से करवायी जावें ।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावें वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी PW-1 में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। वादी के बयान लेखबद्ध किये गये व वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। जिरह पैरोकारराज शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 298 तादादी 11.6900 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1027/762 तादादी 6.7600 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1029/626 तादादी 6.8300 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 191 तादादी 4.2700 हैक्टेयर वाकेरोही समन्दसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम ''लालूराम'' के स्थान पर ''मामराज'' घोषित किया

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)